रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2006/कार्तिक 26, 1928
No. 556] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006/KARTIKA 26, 1928

IndiaCode

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 709(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 10(ख) की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 38क की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव (निर्वाचन अधिकरण) नियम 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :-- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ङ) "अधिनियम" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980, अभिप्रेत है ;

(ढ) "व्यथित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने परिषद के उस निर्वाचन को लड़ा है जिससे विवाद संबद्ध है ;

(ण) "विवाद" से संस्थान की परिषद के निर्वाचन से उत्पन्न, किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा उठाया गया कोई विवाद अभिप्रेत है ;

(त) "निर्वाचन" से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन किया गया परिषद् का निर्वाचन अभिप्रेत है ;

(थ) "विधि व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय विधिज्ञ परिषद या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद से रजिस्ट्रीकृत है और किसी न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए पात्र है ;

(द) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के अधीन बनाया गया अधिकरण् अभिप्रेत है ।

3. **अधिकरण का गठन** :-- (1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 10क के अधीन संस्थान के सचिव द्वारा अग्रेषित किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति के यथासाध्य पैंतालीस दिन के भीतर अधिनियम की धारा 10ख के उपबंधों के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण् की स्थापना करेगी ।

(2) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित किसी लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेंगे ।

(3) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित कारणों में से किसी के कारण से यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या सदस्य नहीं रह सकेंगे :--

(ट) मृत्यु ; या

(ठ) त्यागपत्र ; या

(ड) यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या किसी सदस्य के रूप में कार्य करने से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ होने ; या

(ढ) यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या किसी सदस्य के पात्र न रह जाने ; या

(ण) केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जाने ।

(4) अधिकरण में किसी आकस्मिक रिक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन प्रवर्गों में से, जिनमें ऐसी रिक्ति उत्पन्न हुई है, किसी अधिसूचना द्वारा भरा जाएगा ।

4 पीठासीन अधिकारी और अधिकरण के सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें :-- अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे और अधिकरण की अवधि के लिए नियुक्त होंगे ।

5 भत्ते :-- (1) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य को बैठक के प्रत्येक दिन के लिए भत्ते के रूप में निम्नलिखित रकम संदत्त होगी, अर्थात् :--

(क) पीठासीन अधिकारी --- 500 रु० ;

(ख) सदस्य --- 400 रु० ।

(2) केन्द्रीय सरकार, समय समय पर, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से बैठक फीस या मानदेय को पुनरीक्षित कर सकेगी ।

(3) यदि, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियोजन में है तो वह केवल 5000/- रुपए की किसी एक गुणत राशि के लिए पात्र होगा और वह किसी बैठक फीस के लिए पात्र नहीं होगा ।

6 यात्रा और दैनिक भत्ता :-- अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य, दौरे के समय, उनकी पदीय हैसियत में उनको यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए हकदार होंगे और यदि सदस्य, एक सरकारी सेवक नहीं है तो वह, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के वेतनमान के किसी पद को धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए हकदार होगा ।

7 अधिकरण की बैठक :-- (1) अधिकरण की सभी बैठकें, संस्थान के मुख्यालय पर होंगी :

परंतु, यदि अधिकरण की यह राय है कि न्याय हित में संस्थान के मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर कोई बैठक करना समीचीन है तो वह, ऐसे किसी स्थान पर बैठक कर सकेगी ।

(2) बैठकों की तारीख या तारीखें और समय, अधिकरण के अन्य सदस्यों के परामर्श से पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत की जाएंगी :

परंतु पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना, जो ऐसी बैठक की अनुसूचित तारीख से पहले पन्द्रह दिन से कम न हो, अधिकरण के अन्य सदस्यों, संस्थान के सचिव और अंतर्वलित पक्षकारों को, दी जाएगी ।

(3) अधिकरण की बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति दो होगी ।

(4) पीठासीन अधिकारी अधिकरण की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त किया गया सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(5) ऐसी सभी प्रश्नों का जो अधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा और मत बराबर होने की दशा में पीठासीन अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य, द्वितीय या निर्णायक मत रखेगा ।

8. **अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया** :-- (1) अधिकरण, अपने कृत्यों के निर्वहन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और अधिनियम और इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन, अधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा :

परंतु अधिकरण, यथासाध्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि कोई विवाद, इसके गठन की तारीख से छह मास के भीतर इसके द्वारा सुना और विनिश्चित कर दिया गया है ।

(2) अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने वाला प्रत्येक पक्षकार को किसी विधि व्यवसायी द्वारा या अधिकरण् की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा ।

(3) अधिकरण, अपना विनिश्चय देते समय,--

(क) आवेदन को खारिज कर सकेगा ;

(ख) सभी या किसी निर्वाचित अभ्यर्थीयों के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकेगा ;

(ग) सभी या किसी निर्वाचित अभ्यर्थीयों के निर्वाचन को और आवेदक या सम्यक् रूप से निर्वाचित किसी अन्य अभ्यर्थी को शून्य घोषित कर सकेगा ; और

(घ) खर्च के बारे में ऐसा आदेश जैसा वह समुचित विचार करे, पारित कर सकेगा ।

(4) अधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय, अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों द्वारा अधिप्रमाणित होंगे ।

9. **अधिकरण की शक्तियां** :-- (1) इन नियमों के अधीन किसी विवाद का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, अधिकरण, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वैसी ही शक्तियां रखेगा जैसी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे पेश करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य का ग्रहण करना ; और

(घ) इसके समक्ष पेश किए गए साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करना ।

10. **अधिकरण की अवधि** :-- अधिकरण की अवधि, निर्देश के अधीन विवाद पर इसके विनिश्चय की घोषणा की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर समाप्त होगी ।

11. **अवशिष्ट उपबंध** :-- अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य के सेवा निबंधन और शर्तों, बैठकों के स्थान और भत्तों से संबंधित विषयों के संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में इसके विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को, निर्दिष्ट होगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय, अधिकरण, पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों पर आबद्धकर होगा ।

[फा. सं. 5/27/2006/सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2006

G.S.R. 709(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 38A, read with sub-section (3) of section 10B of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules namely: -

1. Short title and commencement:- (1) These Rules may be called *the Company Secretaries (Election Tribunal) Rules, 2006.*

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official *Gazette.*

IndiaCode

2. Definitions:- In these Rules, unless the context otherwise requires, -

(m) "Act" means the Company Secretaries Act, 1980;

(n) "aggrieved person" means a person who contested that election to the Council to which the dispute pertains;

(o) "dispute" means a dispute raised by an aggrieved person arising out of the election to the Council of the Institute;

(p) "election" means election to the Council held under sub-section (2) of section 9 of the Act;

(q) "legal practitioner" means a person registered with Bar Council of India or any of the State Bar Councils and is eligible to appear before a Court of law;

(r) "Tribunal" means the Tribunal formed under sub-section (1) of section 1 of the Act.

3. Constitution of Tribunal:- (1) The Central Government shall establish *a Tribunal by notification in official gazette, in accordance with the provisions of*

(3) The Central Government may remove a person from the post of Chairperson or Member, if– -

(a) he has become physically or mentally incapable of acting as the Chairperson or a Member, as the case may be;

(b) he has not attended three consecutive meetings of the Board, without leave of absence;

(c) he, being the Chairperson, has not called a meeting of the Board for more than six months;

(d) he, in the opinion of the Central Government, is unable to discharge his function or perform his duties; or

(e) he has been held guilty by any civil or criminal court for an offence which is punishable with imprisonment for a term exceeding six months.

(4) A casual vacancy in the Board shall be filled by the Central Government, from out of the category in which such vacancy occurs.

11. Residuary provision.— Matters relating to the terms and conditions of services and allowances of the Chairperson and other members of the Board, the place of meetings and the procedure to be adopted in meetings of the Board, with respect to which no express provisions has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Board, the Chairperson and other members.

[F. No. 5/27/2006-CI-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

IndiaCode

3808 GI/07-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.